<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

स्वत्व वाद सं0–112/2024

चन्द्रमोहन उपाध्याय...वादी

बनाम

चन्द्रभूषण उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
22.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी के विधिक वारिसानों की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.08.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 22.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विधिक वारिसानो के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी की मृत्यु दिनांक 31.07.2025 को हो गया है। चन्द्रमोहन उपाध्याय अपने पीछे अपनी पत्नी मु0 राजबदन कुँवर तथा तीन पुत्र दयाशंकर उपाध्याय, गुड्डु उपाध्याय, आदर्श कुमार उपाध्याय एवं एक पुत्री रश्मि को छोड़कर स्वर्गवासी हो चुके है, जो इस वाद में विधिक वारीसान है। वादी की मृत्यु के पश्चात् इनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाना न्यायहित में आवश्यक है। यह प्रतिस्थापना आवेदन समय–सीमा के अंदर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मृत वादी चन्द्रमोहन उपाध्याय का नाम वाद पत्र से विलोपित करने एवं उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनने का आदेश देने की कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के विधिक वारिसानों के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के विधिक वारिसानों ने एक आवेदन दिनांक 27.08.2025 को अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि मृत वादी चन्द्रमोहन उपाध्याय का नाम वाद पत्र से विलोपित करने एवं उनके विधिक वारिसानों पत्नी मु0 राजबदन कुँवर तथा तीन पुत्र दयाशंकर उपाध्याय,	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–112/2024

चन्द्रमोहन उपाध्याय...वादी

बनाम

चन्द्रभूषण उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **22.01.2026**	गुड्डु उपाध्याय, आदर्श कुमार उपाध्याय एवं एक पुत्री रश्मि को पक्षकार बनने का आदेश देने की कृपा किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जिससे सभी आवश्यक पक्षों को सुनकर वाद का निष्तारण किया जा सकें एवं वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के विधिक वारिसानों का आवेदन पोषणीय है। अतः न्यायहीत में वादी के विधिक वारिसानों का आवेदन दिनांक 27.08.2025 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादी के विधिक वारिसानों को निर्देश दिया जाता है कि वाद पत्र से मृत वादी चन्द्रमोहन उपाध्याय का नाम कलमजद करते हुए उनके विधिक वारिसानों का नाम वाद पत्र के वादी कॉलम में समय–सीमा के अंदर प्रतिस्थाापित करें। आगामी दिनांक 06.03.2026 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	